न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी अरविन्द कुमार जाखड़ आर ए एस

राजस्व अपील / 223 / रा.का.अधि. / 94 / 2019 / बाड़मेर

अपीलांट **रेस्पोडेंटगण**

1. वेहना पुत्र मगाराम उम्र 82 वर्ष **बनाम** 1.हरजी पुत्र पाबू जाति जाट उम्र79वर्ष
2. पीथा पुत्र मगाराम उम्र 78 वर्ष जाति जाट निवासी आकल (सरणू चिमनजी) तहसील बायतु जिला बाड़मेर

2.उमा पुत्र पाबू के कायम मुकाम

2/1कानू पत्नी उमा उम्र 60 वर्ष

2/2कमा पुत्री उमा उम्र 40 वर्ष

2/3हनुमान पुत्र उमा उम्र 21 वर्ष

2/4भैरा पुत्र उमा उम्र 19 वर्ष

2/5जगू पुत्र उमा उम्र 15 वर्ष नाबालिग जरिये कुदरती वलिया माता कानू उतरदाता संख्या 2/1

3.कंवरा पुत्र दुर्गा जातियान जाट निवासी सरणू चिमनजी तहसील व जिला बाड़मेर

4.खेमा पुत्र पाबू उम्र 35 वर्ष

5.डूंगर पुत्र पाबू उम्र 40 वर्ष जाति जाट निवासी रेवाड़ी मानजी (कमठाई) तहसील सिणधरी

6.जेठा पुत्र पाबू जाति जाट उम्र 80 वर्ष निवासी लक्ष्मी नगर बाड़मेर

7.अचला पुत्र लाला के कायम मुकाम

7/1 हनुमान पुत्र अचला उम्र 50 वर्ष

7/2रामा पुत्र अचला उम्र 45 वर्ष

7/3केहना पुत्र अचला उम्र 40 वर्ष

8.भेरा उर्फ भूरा पुत्र लाला का.मु.

8/1चिमा पुत्र भूरा उम्र 65 वर्ष

8/2निम्बा पुत्र भूरा उम्र 45 वर्ष जाति जाट निवासी सरणू चिमनजी तहसील बाड़मेर

9.तहसीलदार बाड़मेर

राजस्व अपील अधिकारी बाड़मेर

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध सहायक कलक्टर (फस्ट ट्रेक) बाड़मेर द्वारा राजस्व वाद संख्या 75/2018 बअनवान वेहना बनाम हरजी में पारित आदेश दिनांक 07.05.2018 के विरूद्ध पेश हुई।

उपस्थिति

1. वकील श्री बलवंतसिंह चौधरी अपीलान्ट की ओर से।
2. वकील श्री प्रेमाराम सोनी, श्री कुन्दनसिंह चौहान रेस्पोडेंट की ओर से ।

निर्णय

दिनांकः— 10.02.2022

अपील के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि अपीलांटगण व उतरदाता संख्या 01 से 08 की संयुक्त खातेदारी के खेत खसरा संख्या 49, 11, 53, 09, 10 व 48 रकवा क्रमशः 160 बीघा, 325 बीघा, 09.13 बीघा, 01.07 बीघा, 05 बिस्वा व 26.04 बीघा कुल रकबा 522.14 बीघा भूमि मौजा सरणू चिमनजी व आकल तहसील बाड़मेर में आयी हुई है। उपरोक्त आराजी वक्त सेटलमेंट में अपीलांट के दादा लाला के नाम का पर्चा लगान जारी हुआ था किन्तु लाला की फौतगी के समय नामान्तरकरण संख्या 04 व 05 पारित करते समय अपीलांट के पिता मगा का नाम अंकित नहीं किया और मगा फौत होने के बाद अपीलांटगण पूर्व पुरूष लाला के उतराधिकारी होने से 1/4 हिस्सा यानि 130.13 बीघा भूमि पर कब्जा काश्त होने से घोषित करने खातेदारी व बाद घोषणा 1/4 हिस्सा उतरदातागण से विभाजन करने व निषेधाज्ञा का एक राजस्व वाद अपीलांट द्वारा उतरदातागण संख्या 01 से 08 के विरूद्ध धारा 88, 89, 91, 188, 53 सपठित धारा 40 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत मातहत अदालत में पेश किया गया।

पत्रावली दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेंट को जरिये सम्मन तलब किया गया एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई। दोनों विद्वान अधिवक्ताओं की पत्रावली पर बहस सुनी गई।

वकील अपीलांट ने अपनी बहस में बताया कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष दौराने विचारण अपीलांटगण व उतरदातागण के मध्य दिनांक 10.04.2015 को राजीनामा पेश किया गया जो बाद तस्दीक राजीनामा शामिल मिसल किया गया। उक्त राजीनामा में अपीलांट द्वारा पेश राजस्व वाद में विवादित आराजी से अधिक भूमि का राजीनाम तस्दीक होने से अपीलांटगण को राजस्व वाद में संशोधन करने हेतु पत्रावली मुकरर की गयी। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पत्रावली को कैम्प सरणू चिमनजी में दिनांक 07.05.2018 को सुनवाई हेतु नियत की जिसकी सूचना

राजस्व अपील अधिकारी
बाड़मेर

अपीलांटगण को नहीं दी गई तथा वाद को खारिज कर दिया गया, जबकि संशोधित शीर्षक के अभाव में मूल वाद को खारिज नहीं किया जाकर राजीनामा खारीज किया जाता। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा राजस्व वाद को स्थानान्तरण किये जाने की कोई सूचना अपीलांट को नहीं दी गयी जिससे अपीलांट द्वारा राजस्व वाद में समुचित सुनवाई पैरवी नहीं कर पाया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांटगण को सुनवाई का समुचित अवसर दिये बिना अपीलाधीन आदेश पारित किया जो प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के खिलाफ है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का पालन किये बिना पारित किया गया। अतः अपीलांटगण की अपील को स्वीकार फरमाया जावे।

वकील रेस्पोडेंट ने अपनी बहस करते हुए बताया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांटगण को सुनवाई का समुचित अवसर दिया गया। अपीलांटगण जानबूझकर न्यायालय के समक्ष ठोस पैरवी नहीं कर पाये। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का पालन करते हुए पारित किया गया जिसमें किसी प्रकार की कोई वैधानिक त्रुटि नहीं है। अपीलांटगण मामले को अनावश्यक चुनौति देने की मंशा रखते है इसलिए हस्तगत अपील पेश की गई। अतः अपीलांटगण की अपील को खारिज फरमाया जाकर अपीलाधीन आदेश को यथावत रखा जावे।

सर्वप्रथम धारा 5 लिमिटेशन के प्रार्थना–पत्र पर निर्णय करना उचित होगा। वकील अपीलांट ने धारा 5 लिमिटेशन के प्रार्थना–पत्र पर बहस करते हुए बताया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश कैम्प कोर्ट में अपीलांटगण की अनुपस्थिति में पारित किया गया जिसकी सूचना अपीलांटगण को नहीं दी गई। दिनांक 25.11.2019 को वकील वादीगण को अधीनस्थ न्यायालय द्वारा सूचित किया गया कि उक्त पत्रावली न्याय आपके द्वारा अभियान कैम्प कोर्ट सरणू चिमनजी में दिनांक 07.05.2018 को फैसला कर दिया है तब सर्वप्रथम अपीलाधीन आदेश की जानकारी हुई तथा वास्तविक ज्ञान की तारिख से अपील अन्दर मियाद पेश है। अपील पेश करने में हुआ विलंब सद्भाविक है अतः अपील अन्दर मियाद शुमार की जावे। अपीलांटगण के अधिवक्ता ने निम्नलिखित न्यायिक दृष्टांत पेश कियेः–

RJT 2008(2) Page 1535 (विलम्ब की लम्बाई सारवान नहीं है पर्याप्त कारण सारवान है और पर्याप्त कारण पर विचार करते हुऐ उदार दृष्टिकोण अपनाना चाहिये)

RRT 2008(1) Page 1406

राजस्व अपील अधिकारी
बाड़मेर

वकील रेस्पोडेंट ने धारा 05 मियाद अधिनियम के प्रार्थना–पत्र पर बहस करते हुए बताया कि हस्तगत वाद में दोनो पक्षों के बीच राजीनामा होने से दोनों पक्षों ने मिलकर दिनांक 10.04.2015 को राजीनामा मय नजरी नक्शा पेश किया गया था जिस पर सभी पक्षकारों के एवं उनके अभिभाषकों के हस्ताक्षर है जो सहायक कलक्टर बाड़मेर द्वारा तस्दीक भी किया जा चुका है। उसके पश्चात पत्रावली अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर फास्ट ट्रेक बाड़मेर में अन्तरण की गई जिसकी पक्षकारों के अधिवक्ताओं को भलीभांति ज्ञान था। अपीलांटगण द्वारा अपील पेश करने में हुई देरी सद्भाविक नहीं। अपील पेश करने में हुई देरी के एक–एक दिन का हिसाब अपीलांटगण द्वारा नहीं दिया गया है। अतः लिमिटेशन के आधार पर अपील अपीलांट खारिज फरमाई जावे।

उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्ताओं की धारा 05 लिमिटेशन प्रार्थना–पत्र पर बहस सुनने के पश्चात न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचा है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश कैम्प कोर्ट में पारित किया जिसकी जानकारी अपीलांटगण नहीं दी गई। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश उभयपक्ष की अनुपस्थिति में पारित किया गया। हस्तगत प्रकरण का निस्तारण तकनीकी बिंदुओं के आधार पर खारिज करने की बजाय इसका निस्तारण गुणावगुण के आधार पर किया जाना युक्तियुक्त एवं न्यायोचित है। लिहाजा अपील अन्दर मियाद शुमार की जाती है।

पत्रावली का अवलोकन व अधिवक्ता अपीलांट की बहस पर मनन करने के पश्चात यह तथ्य प्रकट हुआ कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष हस्तगत वाद में राजीनामा पेश किया जो बाद तस्दीक शामिल मिसल किया गया। उपरोक्त राजीनामा में अपीलांट द्वारा पेश राजस्व वाद में विवादित आराजी से अधिक भूमि का राजीनामा तस्दीक किया गया जिसकी पालना में राजस्व वाद को संशोधित किया जाना था। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा हस्तगत वाद को न्याय आपके द्वार कैम्प कोर्ट सरणू चिमनजी में सुनवाई हेतु नियत किया गया उसकी सूचना अपीलांटगण को नहीं दी गई, इसलिए अपीलांटगण आदेश की पालना में वाद को संशोधित नहीं किया जा सका। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश अपीलांटगण की अनुपस्थिति में एकपक्षीय रूप से पारित किया गया जो प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों की अवहेलना की गई। कैम्प कोर्ट में आपसी राजीनामा के आधार पर प्रकरण का निस्तारण किया जाना चाहिए लेकिन अधीनस्थ न्यायालय द्वारा वाद की प्रक्रियागत कार्यवाही को पूर्ण किये बिना अपीलाधीन आलोच्य आदेश पारित किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश पारित करते वक्त विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का पालन किये बिना पारित किया गया जो कतई स्वीकार्य नहीं है।

राजस्व अपील अधिकारी
बाड़मेर

उपरोक्त विवेचन एवं तथ्यों के आलोक में अपीलांट की अपील रिमाण्ड करने योग्य है।

अतः अपील अपीलांट आंशिक स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर (फस्ट ट्रेक) बाड़मेर द्वारा राजस्व वाद संख्या 75/2018 बअनवान वेहना बनाम हरजी में पारित आदेश दिनांक 07.05.2018 को अपास्त किया जाता है तथा मामला अधीनस्थ न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वाद की संपूर्ण प्रक्रियागत कार्यवाही को पूर्ण करते हुए अपीलांटगण को समुचित सुनवाई का मौका जाकर दिया जाकर गुणावगुण पर विधि सम्मत निर्णय पारित करे। उभयपक्ष अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष दिनांक 11.04.2022 को उपस्थित रहे। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख मय निर्णय प्रति के लौटाया जावे।

(अरविन्द कुमार जोखड़)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

यह आदेश आज दिनांक 10.02.2022 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

राजस्व अपील अधिकारी
बाड़मेर